न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 24/2022 (2022/133)

प्रार्थी/निगरानीकर्ता :–

गौतम शर्मा पुत्र सत्यनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. श्रीमती शांति देवी पत्नी अचलाराम, जाति ब्राह्मण, निवासी फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत फींच, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर।
3. ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत फींच, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 03 मिसल संख्या 16/2018–19 दिनांक 20.03.2018 जो ग्राम पंचायत फींच द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :

1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री रामप्रकाश चौधरी (अप्रार्थी संख्या 01)।

आदेश **दिनांक :–30.06.2023**

प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 पट्टा संख्या 03 मिसल संख्या 16/2018–19 दिनांक 20.03.2018 जो ग्राम पंचायत फींच द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत फींच से मूल अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश चौधरी ने वकालतनामा पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:43 IST
Reason: SelfAttested

किया। ग्राम पंचायत फींच से मूल अभिलेख प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 15.06.2023 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत के साथ मिली भगत करते हुए निगरानीधीन पट्टा स्वीकृत कराया जो विधिविरूद्ध है। ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल रिकॉर्ड की पट्टा बुक का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 को पूर्व में पट्टा संख्या 1 जारी करने हेतु पट्टा विलेख भरकर कॉट–छॉट कर निरस्त किया गया है वो किस आधार पर निरस्त किया गया कोई कारण व स्पष्टीकरण नही है। पट्टा विलेख जारी करते समय न तो सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की गई और ना ही कोई नोटिस चस्पा किया गया। सक्षम अधिकारी से पट्टे की रिपोर्ट भी नहीं ली गई। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 07.09.2017 की पालना में पद संख्या 5 में वर्णित है कि '' जिला कलेक्टर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को यह भी निर्देश देंगे कि ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे किसी परिवार के पक्ष में पट्टा जारी नहीं किया जावे यदि उस ग्राम पचायत में उस परिवार के पास पूर्व में ही आवासीय मकान का पट्टा विलेख है '' अर्थात् किसी भी ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में एक परिवार को एक ही पट्टा विलेख जारी किया जा सकता है अर्थात् परिवार के अन्य सदस्यों को पट्टा विलेख जारी नहीं किया जा सकता है लेकिन हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व उसके पति को भी पट्टा जारी किया गया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

प्रार्थीपक्ष ने बहस में आगे बतलाया कि श्रीमती शान्तिदेवी को जो पट्टा जारी किया गया उसकी मिसल संख्या 16/2018–19 में पट्टा जारी दिनांक 05.12.2018 व ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी दिनांक 20.03.2018 अंकित है अर्थात् पट्टा 9 माह पूर्व जारी किया गया है अर्थात् कर्मचारियों से मिली भगत कर अप्रार्थी संख्या 01 को अनुचित लाभ देने के लिये उक्त कार्यवाही की गई है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो वास्तविक मौका देखा ना ही सर्वे किया बल्कि वास्तविकता यह है कि श्रीमती शान्तिदेवी ने उस भूमि को पुश्तैनी भूमि बताया जबकि श्रीमती शान्तिदेवी का यहां ससुराल है अर्थात् उसकी पुश्तैनी भूमि नहीं हो सकती तथा जिस भूमि के पट्टे के लिए आवेदन किया उक्त भूमि सार्वजनिक चौक व आम रास्ते की भूमि है तथा पंचायत नियम में सार्वजनिक चौक व आम रास्ते की भूमि का ना तो नियमन किया जा सकता है ना ही पट्टा जारी किया जा सकता है। रास्ते की भूमि पर निर्माण करना कानूनन अपराध [illegible] शान्तिदेवी ने न्यायालय के समक्ष बतलाया उसका पुराना [illegible] रिपेयरिंग का कार्य मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:43 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम पंचायत की अनुमति से चल रहा है जो कि झूठा कथन किया गया है जिसका प्रार्थी द्वारा स्पष्ट जवाब दिया गया तथा न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्यों के आधार पेश करने पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीया के विरूद्ध धारा 340 CrPC का प्रार्थना–पत्र अलग से पेश किया है जिसका अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा आज दिन तक जबाब नहीं दिया गया है।

प्रार्थीपक्ष ने निरन्तर बहस में बतलाया कि श्रीमती शान्तिदेवी जाति से ब्राह्मण है जो सामान्य जाति की श्रेणी में आती है लेकिन उन्होनें ग्राम पंचायत से पट्टा विलेख प्राप्त करने हेतु जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसमें अपनी जाति वर्ग ओ0बी0सी0 बताया है तथा ओ0 बी0 सी0 श्रेणी के आधार पर पट्टा जारी करवाया। पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत ने न तो मौका निरीक्षण किया तथा न ही स्वतन्त्र गवाहों के रूप में हस्ताक्षर कराए तथा जो नक्शा ग्राम पंचायत ने बनाया उस पर किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर/सील नही है अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विलेख विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

प्रार्थीपक्ष ने बहस में आगे बतलाया कि ग्राम पंचायत में मिसल किस तारीख को पेश की गई उसकी कोई तारीख मिसल पर अंकित नहीं है। पटवारी रिपोर्ट पर पटवारी के हस्ताक्षर नहीं है। कार्यालय टिप्पणी पर भी ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा विलेख जारी करते समय जो मिसल संधारित की गई उसके आज्ञाओं की सूची में किसी पर भी दिनांक अंकित नहीं है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 05.10.2018 की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त की जिसमें प्रस्ताव संख्या 4 में ग्राम पंचायतों द्वारा कौन से प्रस्ताव लिए गए उनका उल्लेख नहीं है पूरा पृष्ठ खाली है तथा आगामी पृष्ठ भी पूर्णतया खाली है तत्पश्चात् तीसरे पृष्ठ पर सरपंच दौलतराम गोदारा तथा बाबूलाल, भंवरलाल, फम्बुदेवी, पप्पाराम, प्रेमाराम, सूजकी, सतकी के अंगुष्ठ व हस्ताक्षर है। अगली बैठक कब व किस तारीख को होगी कोई सूचना नहीं है। बैठक रजिस्टर की तारीखों में काट–छाट तथा ओवर राईटिंग/व्हाईटनर का प्रयोग करते हुए वास्तविक तारीखों को छुपाया गया है। अप्रार्थी को जारी पट्टा विलेख की मूल मिसल का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आवेदन प्राप्त होने पर पट्टा बनाने हेतु मिसल दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 05.12.2018 को पेश हो लेकिन दिनांक 05.12.2018 का बैठक रजिस्टर मे कही कोई जिक्र नहीं, जबकि बैठक रजिस्टर में तारीखों में फेरबदल किया हुआ है तथा पेंसिल से ओवर राईटिंग की हुई है [illegible] 05.01.[illegible] को कमेटी बनाई गई व जांच करेगी तथा बिन्दु संख्या 2 में म[illegible] से प्रार्थियां का एकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:43 IST
Reason: SelfAttested

स्वामित्व है या नहीं उक्त रिपोर्ट 20.01.2019 तक प्रस्तुत करेंगे। आगामी बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक में काट–छाट कर दिनांक 20.01.2019 कर तारीख पर व्हाईटनर लगाकर तारीख मे कॉट–छॉट की गई व ओवर राईटिंग की गई है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 20.01.2019 की कार्यवाही के पद संख्या 2 में वर्णित मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है अर्थात् मौका रिपोर्ट पर तारीख 20.02.2019 अंकित है जबकि बैठक कार्यवाही रजिस्टर मे 20.01.2019 को या उससे पूर्व मौका निरीक्षण रिपोट प्राप्त होने का सवाल ही नहीं है। दिनाक 05.02.2019 को बैठक रजिस्टर के आगामी तारीख में भी कॉट–छॉट व ओवर राईटिंग की गई है व तारीखों में फेरबदल किया है। इससे जाहिर होता है कि सारी कार्यवाही आनन–फानन में घर बैठकर की गई है तथा बैठक दिनांक 20.02.2019 के प्रस्ताव संख्या 4 में मिसल का जिक्र है जिसमे ंमौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा मौका रिपोर्ट 20.02.2019 को बनी है तो एक माह का नोटिस कब जारी हुआ और चस्पा हुआ, जबकि नोटिस जारी किए बिना तथा एतराज का समय दिए बिना ही मौका निरीक्षण रिपोर्ट बना ली गई। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी लूणी से मौका रिपार्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 02.01.2023 में स्पष्ट उल्लेख है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है तथा वर्तमान में मौके पर निर्माण कार्य चल रहा है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 ने खाली भूमि का पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत नियम विरूद्ध जारी करवाया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब आपत्ति मौका रिपोर्ट दिनांक 02.01.2023 के सन्दर्भ मे बतलाया कि मौका फर्द पर स्वयं उपखण्ड अधिकारी महोदय के हस्ताक्षर है इससे स्पष्ट है कि उक्त रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी की उपस्थिति में बनाई गई अतः उक्त रिपोर्ट को डी पार्ट में रखे जाने का कोई ठोस आधार नहीं है। बहस के अन्त में निगरानीधीन पट्टा को निरस्त करने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री रामप्रकाश चौधरी ने दिनांक 13.02.203 को आपत्ति बाबत् मौका रिपोर्ट दिनांक 02.01.2023 पेश कर बतलाया कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी स्वयं मौके पर नहीं गए तथा अपने कार्यालय से हल्का पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी को आदेश जारी किया, मौके पर हल्का पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी ने मनमर्जी पर्चा मौका बनाकर पेश की जो प्रारम्भ से ही गलत है। [illegible] [illegible] को मौका देखने बाबत् किसी भी प्रकार की सूचना, नो[illegible] अप्रार्थी संख्या 01 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Meharia
Date: 2023.08.04 14:03:43 IST
Reason: SelfAttested

परिवार के सदस्य की उपस्थित में मौका देखा गया। मौका फर्द के साथ सलंग्न फोटोग्राफ्स पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा नया निर्माण कार्य नहीं किया जा जाकर मकान का मरम्मत किया जा रहा है। उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार एकपक्षीय, मौका स्थिति के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 01 व उपखण्ड अधिकारी की अनुपस्थित में जो मौका रिपार्ट बनाई गई है जो पूर्णतः गलत है उक्त मौका रिपोर्ट को पार्ट डी रखे जाने एवं नया मौका कमिश्नर नियुक्त किए जाने का आदेश दिया जावें।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 01 का निगरानीधीन पट्टे में वर्णित भूमि पर रहवासीय मकान बना हुआ है जिस पर उसका निर्विवाद कब्जा है जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिनुसार पट्टा विलेख जारी किया गया। उक्त रहवासीय मकान पर अप्रार्थी संख्या 01 व उसके पुत्र द्वारा गृह ऋण लेने हेतु यूको बैंक शाखा सालावास में आवेदन प्रस्तुत किया। बैक द्वारा दिनांक 20.11.2020 को भौतिक रूप से जाकर अप्रार्थी संख्या 01 के मकान का भौतिक रूप से वैल्यूशन तैयार करने की रिपोर्ट तथा मकान पर ऋण स्वीकृति किया गया। इसके समर्थन में सत्यापित प्रतिलिपियाँ पेश की। बैंक की रिपोर्ट से स्पष्ट है अप्रार्थी संख्या 01 का रहवासीय मकान बना हुआ था।

अप्रार्थीपक्ष संख्या 01 ने बहस में आगे बतलाया कि प्रार्थीपक्ष द्वारा बहस में बतलाया गया कि बैठक कार्यवाही रजिस्टर में जगह–जगह कॉट–छाँट व व्हाईटनर का प्रयोग किया गया है तो इसमें अप्रार्थी संख्या 01 से कोई लेना–देना नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का संधारण सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। बहस के अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस कर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। निगरानी का निर्णय करने से पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.12.2022 तथा प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.02.2023 बाबत् आपत्ति मौका रिपोर्ट को निर्णित करना करना उचित समझते है।

अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थना–पत्र निगरानी पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज करने बाबत् दिनांक 26.12.2022 में बतलाया कि प्रार्थी ने विचाराधीन निगरानी में अप्रार्थी संख्या 03 ग्राम सेवक व पदेन सचिव व अप्रार्थी संख्या 04 विकास अधिकारी जो लोकसेवक की परिभाषा में आते है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 03 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:53:43 IST
Reason: SelfAttested

खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम, 1994 की धारा 109 के तहत नोटिस देना कानूनन आनिवार्य था लेकिन प्रार्थी ने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया तथा अप्रार्थी संख्या 04 के खिलाफ निगरानी प्रस्तत करने से पूर्व राज0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 109 की पालना नहीं कर अप्रार्थी संख्या 04 को अनावश्यक पक्षकार बनाया है इसलिए प्रार्थी की निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जावें। प्रार्थी ने जवाब में बतलाया कि अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना–पत्र मात्र प्रकरण में विलम्ब करने के लिए पेश किया है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 मात्र औपचारिक पक्षकार है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के नोटिस विधिवत् तामिल होना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध निगरानी में पक्षकार बनाने बाबत् नहीं किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.02.2023 में बतलाया कि उपखण्ड अधिकारी लूणी, ग्राम विकास अधिकारी एवं हल्का पटवारी ने मौका देखने से पूर्व अप्रार्थी को मौका देखने बाबत् किसी प्रकार की सूचना या नोटिस नहीं दिया गया तथा उक्त रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी के निर्देशानुसार एक पक्षीय, मौका स्थिति के विरूद्ध ग्राम विकास अधिकारी व हल्का पटवारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी की अनुपस्थिति में गलत बनाई गई।

उपखण्ड अधिकारी लूणी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 03.01.2023 का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि उपखण्ड अधिकारी के मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हुए है तथा उनके द्वारा मौका स्थिति की रिपोर्ट में सलंग्न नक्शा अनुसार मकानों का मौके पर नाप किया गया, यह भूमि गांव फींच के खसरा नं0 601 रकबा 7.02600 हैक्टर ग्राम पंचायत फींच के अधीन दर्ज है। मौका रिपोर्ट पर उपखण्ड अधिकारी, हल्का पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी व उपस्थित मौतबिरान के हस्ताक्षर भी किये हुए है।

अतः अप्रार्थीपक्ष संख्या 1 का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि मौका रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी लूणी की अनुपस्थित में तैयार की गई हो। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा मौका कमिश्नर रिपोर्ट पर अन्य एतराज प्रस्तुत किये गये वो भी स्वीकार योग्य नहीं है, परिणामस्वरूपः अप्रार्थी संख्या 01 का प्रार्थना–पत्र बाबत् निगरानी पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज करने दिनांक 26.12.2022 तथा आपत्ति प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.02.2023 निरस्त किये जाते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:43 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत निगरानी का गुणावगुण निर्णय इस प्रकार किया जाता है। प्रार्थीपक्ष का कथन है कि निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व सार्वजनिक आपत्तियाँ आमंत्रित नहीं करने, न हीं नोटिस चस्पा किया गया अतः अप्रार्थी संख्या 01 ने पंचायत से मिलीभगत से पट्टा प्राप्त किया है। यह भी कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व उसके पति को भी पट्टा जारी किया जबकि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 07.09.2017 के पद संख्या 05 में स्पष्ट किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा एक परिवार को एक पट्टा विलेख जारी किया जा सकता है। निगरानीकर्ता का यह कथन सही है कि गैर निगरानीकर्ता श्रीमती शांति के पति अचलाराम पुत्र प्रेमाराम निवासी फींच को 229.5 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.03.2019 को जारी किया गया, जबकि शांतिदेवी को भी दिनांक 20.03.2019 को आवासीय पट्टा विलेख बनाप 213 वर्गगज का जारी किया गया है। उपखण्ड अधिकारी लूणी से प्राप्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 02.01.2023 के अनुसार अचलाराम पुत्र प्रेमाराम के पक्ष में जारी पट्टा विलेख भूमि के उत्तर दिशा में स्थित चौक व रास्ता की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 शांतिदेवी पत्नी अचलाराम को पट्टा जारी किया हुआ है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 01 शांतिदेवी पत्नी अचलाराम को ग्राम पंचायत फींच द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 03 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत फींच को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियमों की अक्षरशः पालना करते हुए पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 30.06.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 14:03:43 IST
Reason: SelfAttested

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर